

**कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार**  
**Chief Minister Scholarship Scheme for Higher Education**

मुख्य मंत्री उच्च, शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

1	योजना का नाम	<b>Chief Minister Scholarship Scheme for Higher Education</b> मुख्यमंत्री उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना (वर्ष 2012 से प्रारम्भ)
3	लाभान्वित वर्ग	अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थी (आय सीमा - ढाई लाख रु वार्षिक)
4	पात्रता	राजस्थान के अल्प आय वर्ग के मूल निवासी विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा जो कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहे हों
5	देय सुविधाएं	500 रु प्रतिमाह, अधिकतम 5000 रु वार्षिक अधिकतम 5 वर्षों के लिए
6	आवेदन का तरीका	निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर विद्यार्थी उस महाविद्यालय में आवेदन करें जहाँ वे अध्ययनरत हों
7	आवेदन कहाँ किया जाए	विद्यार्थी अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करें
8	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदन प्रपत्र के अनुसार
9	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य

For details and circulars regarding the scheme visit: <http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in> व <http://dce.rajasthan.gov.in>